न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) हरदोई।
(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)

दिनांक 05–01–2021

प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद गुप्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र वास्ते रिकाल किये जाने गैर जमानतीय वारण्ट सत्र परीक्षण संख्या–385/2019 अन्तर्गत धारा–395,412 भा0 द 0 स 0, थाना सुरसा, हरदोई के मामले में प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह पिछली पेशी पर बीमार हो जाने के कारण न्यायालय नहीं आ पाया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया परन्तु पत्रावली आरोप निर्धारण हेतु नियत होने के कारण प्रार्थी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी अगली तिथि पर उपस्थित आया परन्तु कोविड–19 के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सामान्य तिथि लगाए जाने का आदेश पारित किये जाने के कारण कोई कार्यवाही न हो सकी। प्रार्थी ने न्यायालय आने में जानबूझकर गलती नहीं की है जो भी गलती हुयी है वह बीमारी के कारण हुयी है। वह भविष्य में पेशी पर बराबर आता रहेगा।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त मात्र एक तिथि में अनुपस्थित रहा है। उसके पश्चात लाकडाउन होने के कारण मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं कार्यवाहियों में सामान्य तिथि का निर्देश दिया गया था। न्यायिक कार्य के प्रारम्भ के साथ ही प्रथम तिथि में अभियुक्त उपस्थित आ चुका है। अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हएु, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये की पी0 वी0 प्रस्तुत करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया जाता है। साथ ही सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि गवाह के विरूद्ध यदि कोई वारण्ट जारी हो तो उसे अविलम्ब अदम तामीला थाना स्थानीय से वापस मंगाये तथा रोपकार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(वायु नन्दन मिश्र)
अपर सत्र न्यायाधीश(एफ 0 टी0 सी0)
हरदोई।
(14 वें वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत सृजित)